## Order Sheet [Contd] Case No 104 / 12 elect

Cr.P.C.

	Case No104/12 elect	Cr.P.C
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	पुनश्चः—  अावेदक / आरोपी मुंशीलाल सहित श्री बी०एस०यादव अधिवक्ता ने अपने बकालात नामा के उपस्थित होकर एक आवेदनपत्र प्रकरण में आरोपी को समर्पित किये जाने वाबत् धारा 44(2)जा०फो० का पेश कर आरोपी का समर्पण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।  उपरोक्त संबंध में विचार किया गया जबिक प्रकरण में आरोपी का बारंट जारी है अतः उसकी ओरसे प्रस्तुत समर्पण आवेदन स्वीकार कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया ।  इसी अवस्था पर आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तंगत धारा 439 जा०फपो० पेश कर निवेदन किया कि वह ग्राम चन्दहारा तहसील गोहद का स्थाई निवासी है विद्युत विभाग के के द्वारा उसके विरुद्ध झूठा परिवाद पेश कर दिया है जिससे उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है । वह विद्युत की बकाया राशि जमा कराने के लिये भी तत्पर है तथा न्यायालय की सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । विद्युत मण्डल के द्वारा आरोपी के विरुद्ध 31054/—रूपये की राशि शेष होने के कारण आरोपी के द्वारा जान न कराये जाने से उसके विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया है । प्रकरण के निराकरण में अभी समय लगने की संभावना है । ऐसी दशा में आरोपी की ओर से पेश आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि वह विद्युत विभाग की बकाया राशि में से बीस प्रतिशत राशि आगामी दिनांक से पूर्व जमा कर उसकी रशीद न्यायालय में पेश करे तो उसकी ओर से 15000/—पन्द्रह हजार रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोडा जाये ।  प्रकरण पूर्ववत् दिनांक 19—1—17 को पेश हो ।	